हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी
Board of School Education Haryana, Bhiwani
(Established Under Haryana Board of Education Act, 1969)

प्रैस नोट

No. BSEH/SEC/2026 Notification No. 01

Date:- 16-02-2026

विषयः—सैकेण्डरी/सीनियर सैकेण्डरी परीक्षा फरवरी/मार्च–2026 के विद्यालयी/गुरूकुल/विद्यापीठ के नियमित एवं स्वंयपाठी (कम्पार्टमैंट(E.I.O.P)/अतिरिक्त विषय/पूर्ण विषय अंक सुधार/आंशिक अंक सुधार) परीक्षार्थियों के प्रवेश–पत्र जारी करने बारे।

सैकेण्डरी/सीनियर सैकेण्डरी परीक्षा फरवरी/मार्च–2026 के विद्यालयी/गुरूकुल/विद्यापीठ के नियमित एवं स्वंयपाठी (कम्पार्टमैंट(E.I.O.P)/अतिरिक्त विषय/पूर्ण विषय अंक सुधार/आंशिक अंक सुधार) परीक्षार्थियों के प्रवेश–पत्र दिनांक 17.02.2026 से विद्यालयों की लॉगिन आई0डी0 व बोर्ड की वैबसाईट पर जारी किये जा रहे है। सभी विद्यालय मुखिया बोर्ड की वैबसाईट www.bseh.org.in पर दिए गए लिंक पर School login ID व Password का प्रयोग करते हुए विद्यालय के नियमित परीक्षार्थियों के प्रवेश–पत्र डाउनलोड कर सकते है। स्वंयपाठी (कम्पार्टमैंट(E.I.O.P)/अतिरिक्त विषय/पूर्ण विषय अंक सुधार/आंशिक अंक सुधार) परीक्षार्थी भी अपना प्रवेश–पत्र बोर्ड की वैबसाईट पर दिए गए लिंक से पिछला अनुक्रमांक/नाम/पिता का नाम/माता का नाम भरते हुए डाउनलोड कर सकते है।

सभी विद्यालय मुखिया विद्यालय की लॉगिन आई0डी0 पर अपलोड किये गए आवश्यक दिशा–निर्देशों को पढ़ते हुए उनका पालन करने का प्रमाण–पत्र देते हुए प्रवेश–पत्र डाउनलोड करेंगे। विद्यालय मुखिया/स्वंयपाठी परीक्षार्थी ए–04 साईज पपर पर रंगीन प्रवेश–पत्र डाउनलोड करना सुनिश्चित करेंगे। इसके उपरांत विवरण भलीभांति जांच करते हुए यदि विवरणों में कोई त्रुटि है तो तुरंत बोर्ड कार्यालय में सम्पर्क करते हुए विवरणों में शुद्धि करवा लें, बाद में कोई त्रुटि ठीक करवाने बारे दिय गए प्रतिवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा। यदि किसी विद्यालय/स्वंयपाठी परीक्षार्थी का अनुक्रमांक किसी कारण से रोका गया है, तो ऐसे विद्यालय/परीक्षार्थी किसी भी कार्यदिवस में बोर्ड कार्यालय में व्यक्तिगत तौर पर उपस्थित होकर वांछित दस्तावेज उपलब्ध करवाते हुए अपना प्रवेश–पत्र जारी करवा सकते है। परीक्षार्थी परीक्षा केन्द्र पर परीक्षा आरम्भ होन से 30 मिनट पहले पहुंचना सुनिश्चित करे। नियमित परीक्षार्थी विद्यालय वर्दी में विद्यालय आई0डी0 कार्ड/मूल आधार कार्ड एवं स्वंयपाठी परीक्षार्थी अपने मूल आधार कार्ड सहित परीक्षा केन्द्र पर आएंगे। दिव्यांग परीक्षार्थी परीक्षा से पूर्व साक्ष्यों/दस्तावेज सहित बोर्ड कार्यालय, विद्यालय के मुख्याध्यापक/प्रधानाचार्य व प्रवेश–पत्र पर दिए गए परीक्षा केन्द्र के अधीक्षक/मुख्य केन्द्र अधीक्षक से सम्पर्क करते हुए लेखक की अनुमति लेना सुनिश्चित करेंगें। मुख्याध्यापक/प्रधानाचार्य/मुख्य केन्द्र अधीक्षक/केन्द्र अधीक्षक द्वारा जिन दस्तावेजों के आधार पर लेखक की सुविधा दी है, की प्रति ई0मेल/पंजीकृत डाक के माध्यम से बोर्ड कार्यालय की सम्बन्धित शाखाओं को भेजी जानी है।

इस संदर्भ में किसी प्रकार की कठिनाई आने पर बोर्ड वैबसाईट पर जारी हैल्पलाईन नम्बर 01664–254309/ई0मेल आई0डी0 सैकेण्डरी assec@bseh.org.in व सीनियर सैकेण्डरी assrs@bseh.org.in पर सम्पर्क करते हुए समाधान करवाना सुनिश्चित करे।

सचिव